रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 391] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 11, 2007/चैत्र 21, 1929
No. 391] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 11, 2007/CHAITRA 21, 1929

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2007

का.आ. 556(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

श्री मुकुल राय, महासचिव, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, 30 बी, हरीश चटर्जी स्ट्रीट, कोलकाता द्वारा राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन (i) श्री निलोत्पल बासु, (ii) श्री सोमनाथ चटर्जी, (iii) श्री हन्नान मोल्लाह, (iv) श्री लक्ष्मण सेठ, (v) श्री अमिताव नंदी, (vi) श्री सुधांसु सिल, (vii) श्री तारित बरान तोपदार, (viii) श्री बंसागोपाल चौधरी, (ix) श्री (डॉ.) सुजान चक्रवर्ती और (x) श्री मो. सलीम संसद सदस्यों की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न उठाते हुए तारीख 8 मार्च, 2006 की एक याचिका प्रस्तुत की गई है;

और राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (2) के अधीन तारीख 20 मार्च, 2006 के एक निर्देश द्वारा इस बारे में निर्वाचन आयोग की राय मांगी है कि क्या श्री मो. सलीम और नौ अन्य संसद सदस्य संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उप-खंड (क) के अधीन संसद सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित हो गए हैं;

और आयोग ने श्री मो. सलीम को छोड़कर सभी संसद सदस्यों के संबंध में अपनी राय पृथक रूप से 6 जून, 2006 और 8 सितंबर, 2006 को पहले ही दे दी है;

और वर्तमान राय श्री मो. सलीम की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न से संबंधित है, जो मई, 2004 में हुए साधारण निर्वाचन में लोक सभा के लिए निर्वाचित किए गए थे;

और उक्त याची ने यह अभिकथन किया है कि श्री मो. सलीम (i) अध्यक्ष, पश्चिमी बंगाल अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम, (ii) सदस्य, शासी निकाय, पश्चिमी बंगाल उर्दू अकादमी और (iii) सदस्य, भारतीय प्रेस परिषद् के पद धारण कर रहा था और उक्त पद लाभ के पद हैं तथा उक्त सदस्य के इन पदों को धारण करने के कारण संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उप-खंड (क) के अधीन निरर्हता उपगत कर ली है;

और निर्वाचन आयोग ने यह नोट किया है कि श्री मो. सलीम वर्ष 2002 से न तो शासी निकाय का सदस्य था और न ही पश्चिमी बंगाल उर्दू अकादमी की महापरिषद् का सदस्य और वह 25 जनवरी, 1995 से 2 अप्रैल, 1996 तक की अवधि के दौरान प्रेस परिषद् का सदस्य था और यह कि वह प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 की धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन तत्कालीन राज्य सभा सदस्य के रुप में अपने कार्यकाल के पूरे हो जाने पर 2 अप्रैल, 1996 को परिषद् का सदस्य नहीं रह गया था;

और जहां तक पश्चिमी बंगाल अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम के सदस्य के पद का संबंध है, निर्वाचन आयोग ने यह और नोट किया है कि जिस समय यह विषय आयोग के विचाराधीन था इसी दौरान, संसद् (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 का संशोधन करने के लिए संसद् (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 संसद् द्वारा अधिनियमित कर दिया गया था और 18 अगस्त 2006 को राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात् अधिसूचित कर दिया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ, उक्त पद को अन्य पदों सहित धारा 3 के खंड (ट) के अधीन ऐसे पद के रुप में घोषित किया गया है, जिसका धारक संसद् सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित नहीं होगा;

और निर्वाचन आयोग ने अपनी राय (उपाबंध द्वारा) दे दी है कि श्री मुकुल राय की याचिका, जहां तक उसका संबंध सदस्य, शासी निकाय, पश्चिमी बंगाल उर्दू अकादमी और सदस्य, भारतीय प्रेस परिषद् के पदों पर अभिकथित नियुक्तियों के कारण श्री मो. सलीम की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न से है, भ्रामक है और जहां तक उसका संबंध पश्चिमी बंगाल अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम के अध्यक्ष के पद से है, वह निरर्थक हो गई है चूंकि निरर्हता, यदि कोई थी, संसद् (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 के आधार पर भूतलक्षी प्रभाव से हट गई है और इसलिए श्री मो. सलीम ने याचिका में उल्लिखित आधार पर कोई निरर्हता उपगत नहीं की है;

अतः, अब, मैं, आ० प० जै० अब्दुल कलाम, भारत का राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिश्चय करता हूं कि श्री मो. सलीम ने ऊपर उल्लिखित याचिका में वर्णित आधारों पर कोई निरर्हता उपगत नहीं की है।

22 मार्च, 2007

भारत का राष्ट्रपति

[फा. सं. एच.-11026(3)/2007-वि. II]

डा. ब्रह्म अवतार अग्रवाल, अपर सचिव

उपाबंध

भारत निर्वाचन आयोग

2006 का निर्देश मामला सं. 3

[संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन राष्ट्रपति से निर्देश]

निर्देश :संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन श्री मोहम्मद सलीम, लोक सभा सदस्य की अभिकथित निरर्हता ।

राय

यह राष्ट्रपति से संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन प्राप्त तारीख 20 मार्च, 2006 का निर्देश है, जिसमें इस प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या श्री मो. सलीम

संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन लोक सभा के सदस्य होने के लिए निरर्हित हो गए हैं ।

2. श्री मो. सलीम की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न श्री मुकुल राय , महासचिव, अखिल भारतीय त्रृणमूल कांग्रेस, 30बी, हरीश चटर्जी स्ट्रीट, कोलकाता द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत तारीख 8 मार्च, 2006 की याचिका में उठाया गया था । (i) श्री निलोत्पल बासु , संसद सदस्य (राज्य सभा), (ii) श्री सोमनाथ चटर्जी, संसद सदस्य (लोक सभा), (iii) हन्नान मोल्लाह, संसद् सदस्य (लोक सभा), (iv) श्री लक्ष्मण सेठ, संसद् सदस्य (लोक सभा), (v) श्री अमिताव नंदी, संसद् सदस्य (लोक सभा), (vi) श्री सुधांसु सिल, संसद् सदस्य (लोक सभा), (vii) श्री तारित बरान तोपदार, संसद् सदस्य (लोक सभा), (viii)श्री बंसागोपाल चौधरी, संसद् सदस्य (लोकसभा सभा)और (ix) श्री (डा.) सुजान चक्रवर्ती की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न उक्त याचिका में भी उठाया गया था । आयोग ने सभी पूर्वोक्त नौ संसद सदस्यों के संबंध में 6.6.2006 और 8.9.2006 को पृथक् रूप से अपनी राय पहले ही दे दी है ।

3. वर्तमान राय श्री मो. सलीम की निरर्हता के प्रश्न से संबंधित है जो मई, 2004 में हुए वर्तमान लोक सभा के साधारण निर्वाचन में लोक सभा के लिए निर्वाचित किए गए थे । श्री मो. सलीम द्वारा धारित पदों के संबंध में याचिका में अभिकथन थे कि वह (i) अध्यक्ष, पश्चिमी बंगाल, अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम (ii) सदस्य, शासी निकाय, पश्चिमी बंगाल उर्दू अकादमी और (iii) सदस्य, भारतीय प्रेस परिषद् के पद धारण कर रहा था । याची ने यह दलील दी कि श्री मो. सलीम द्वारा धारित ऊपर उल्लिखित पद लाभ के पद हैं और उक्त सदस्य ने इन पदों को धारण करने के कारण अनुच्छेद 102 (1)(क) के अधीन निरर्हता उपगत कर ली है ।

4. तथापि, श्री मुकुल राय की याचिका के साथ उसकी दलील के समर्थन में कोई ऐसा दस्तावेज नहीं लगा था कि वे पद, जिन पर उक्त सदस्य को नियुक्त किया गया था, सरकार के अधीन लाभ के पद थे । श्री मुकुल राय की याचिका में निर्दिष्ट पदों पर सदस्य की नियुक्तियों की तारीखों के संबंध में आधारिक जानकारी भी याचिका में अंतर्विष्ट नहीं थी । किसी सदस्य की किसी पद पर नियुक्ति की तारीख यह अवधारित करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि क्या मामला अनुच्छेद 103(1) के निबंधनों के अनुसार विनिश्चय के लिए राष्ट्रपति की अधिकारिता के अंतर्गत आता है । उच्चतम न्यायालय के अनेक निर्णयों द्वारा सुस्थापित है [देखिए निर्वाचन आयोग बनाम सका वेंकटा राव (एआईआर 1953 एससी 201); बृन्दाबन नायक बनाम निर्वाचन आयोग (एआईआर 1965 एससी 1892) ; निर्वाचन आयोग बनाम एन.जी. रंगा (एआईआर 1978 एससी 1609)] कि

संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन राष्ट्रपति और निर्वाचन आयोग केवल ऐसे पदों से संबंधित प्रश्नों की ही जांच कर सकते हैं, जिन पर संसद् सदस्यों को, ऐसे सदस्यों के रूप में उनके निर्वाचन के पश्चात्, नियुक्त किया जाता है । इसलिए, आयोग की तारीख 24 मार्च, 2006 की सूचना द्वारा याची को उस संबंध में विनिर्दिष्ट जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था । याची ने तारीख 15 अप्रैल, 2006 का एक पत्र प्रस्तुत किया जिसके साथ कतिपय दस्तावेज संलग्न थे जिनमें पुनः मांगी गई विनिर्दिष्ट जानकारी अंतर्विष्ट नहीं थी । अतः याची को 24 मई, 2006 तक अपेक्षित विनिर्दिष्ट जानकारी प्रस्तुत करने के लिए 3 मई, 2006 की सूचना द्वारा पुनः कहा गया है । याची ने तारीख 24 मई,2006 को उक्त सूचना के उत्तर में एक पत्र प्रस्तुत किया जिसमें अन्य बातों के साथ यह दलील दी थी कि उसके पास उपलब्ध जानकारी उसके द्वारा आयोग को पहले ही उपलब्ध करा दी गई थी और यह कि आयोग का यह कर्तव्य था कि वह नियुक्तियों की तारीख प्रस्तुत करने के लिए प्रत्यर्थी को कहे ।

5. चूंकि याची उक्त पदों पर प्रत्यर्थी की नियुक्तियों की तारीखों के संबंध में विनिर्दिष्ट जानकारी और उसे प्रोद्भूत लाभ यदि कोई हो, के संबंध में अन्य ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए असमर्थ था, इसलिए आयोग ने अनुच्छेद 103(2)के अधीन उसे निर्दिष्ट अभिकथित निरर्हता के प्रश्न पर राष्ट्रपति को अपनी राय देने के लिए आयोग को समर्थ बनाने के लिए पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार से सुसंगत जानकारी अभिप्राप्त करने का विनिश्चय किया । तदनुसार तारीख 16.6.2006 के पत्र द्वारा आयोग ने 3.7.2006 तक सुसंगत जानकारी प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया । राज्य सरकार के अनुरोध पर 15.7.2006 तक का समय बढ़ाया गया जिस तारीख को राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त हुआ था । राज्य सरकार ने राज्य के महाधिवक्ता द्वारा दिए गए एक टिप्पण की प्रति संलग्न की जिसमें यह पृष्ठांकन था कि सरकार महाधिवक्ता के मत से सहमत थी । महाधिवक्ता के टिप्पण में मूल रूप से यह कथन किया गया था कि आयोग द्वारा प्रत्यर्थी से जानकारी अभिप्राप्त करनी चाहिए । आयोग ने, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 146 के उपबंधों को उसकी जानकारी में लाते हुए और यह बताते हुए कि आयोग द्वारा मांगी गई जानकारी देने के लिए राज्य सरकार बाध्य थी, तारीख 21.7.2006 को राज्य सरकार को पुनः लिखा ।

6. राज्य सरकार ने 1.8.2006 को एक उत्तर प्रस्तुत किया जिसमें अन्य बातों के साथ पश्चिमी बंगाल अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम के अध्यक्ष के पद पर प्रत्यर्थी की नियुक्ति की अधिसूचनाओं की प्रतियां संलग्न थीं । तथापि, उर्दू अकादमी के शासी निकाय के सदस्य के पद के

संबंध में न तो राज्य सरकार के उत्तर में और न ही महाधिवक्ता के टिप्पण में कोई विनिर्दिष्ट उल्लेख था, यद्यपि पत्र के साथ अन्य दस्तावेजों में सम्मिलित एक अहस्ताक्षरित 'स्पष्टीकारक टिप्पण' की एक प्रति में यह उल्लेख था कि श्री सलीम को पश्चिमी बंगाल उर्दू अकादमी के सदस्य के रूप में कभी भी पदासीन नहीं किया गया था । भारतीय प्रेस परिषद् के सदस्य के पद के संबंध में भी कोई उल्लेख नहीं था । परिणामस्वरूप, आयोग ने अनुच्छेद 103(2) के अधीन आयोग को निर्दिष्ट अभिकथित निरर्हता के प्रश्न पर राष्ट्रपति को अपनी राय देने के लिए आयोग को समर्थ बनाने के लिए भारतीय प्रेस परिषद् के सदस्य के संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय से और उर्दू अकादमी के शासी निकाय के सदस्य के संबंध में पश्चिमी बंगाल से सुसंगत जानकारी अभिप्राप्त करने का विनिश्चय किया । तदनुसार तारीख 3.11.2006 के पत्रों द्वारा वांछित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय और पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार से अनुरोध किया । सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने तारीख 20.12.2006 को प्रस्तुत किए गए अपने उत्तर में यह कथन किया था कि श्री मो. सलीम 25.1.1995 से 2.4.1996 तक की अवधि के दौरान प्रेस परिषद् का सदस्य था और यह कि वह प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 की धारा 6(3) के अधीन तत्कालीन राज्य सभा सदस्य के रूप में उसके कार्यकाल के पूरे हो जाने पर 2.4.1996 को परिषद् का सदस्य नहीं रह गया था । पश्चिमी बंगाल सरकार ने तारीख 4.12.2006 के अपने उत्तर में यह कथन किया था कि श्री मो. सलीम 2002 से न तो शासी निकाय का सदस्य था और न ही पश्चिमी बंगाल उर्दू अकादमी की महा-परिषद् का सदस्य था ।

7. जैसा कि ऊपर कथन किया गया है, यह सुस्थापित है कि संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन संसद के आसीन सदस्य की निरर्हता के प्रश्न को विनिश्चित करने के लिए राष्ट्रपति की अधिकारिता केवल सदन के सदस्य के रूप में उसके निर्वाचन के पश्चात् उपगत निरर्हता के मामले में ही उद्भूत होती है । अभिकथित निरर्हता के ऐसे प्रश्न के संबंध में जांच करने के लिए निर्वाचन आयोग की अधिकारिता संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्दिष्ट किए जाने पर केवल निर्वाचन पश्चात् की निरर्हता के मामले में भी उद्भूत होती है ।

8. जैसा कि ऊपर पैरा 3 में पहले ही नोट किया है, श्री मो. सलीम की लोक सभा में वर्तमान सदस्यता मई, 2004 में हुए उस सदन के साधारण निर्वाचन में उस सदन में उसके निर्वाचन के आधार पर है । इस प्रकार वर्तमान याचिका में उठाया गया प्रश्न जहां तक उसका संबंध भारतीय प्रेस परिषद् के सदस्य के पद से है, मई, 2004 में 14वीं लोकसभा के उसके निर्वाचन की अवधि के काफी पहले की अवधि से संबंध रखता है ।

2057 GI/07-2

9. जहां तक शासी निकाय, पश्चिमी बंगाल उर्दू अकादमी के सदस्य के पद का संबंध है राज्य सरकार ने अपने उत्तर में यह कथन किया था कि श्री मो. सलीम 2002 से न तो शासी निकाय का सदस्य था और न ही पश्चिमी बंगाल उर्दू अकादमी की महा-परिषद् का सदस्य ।

10. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए याचिका में ये अभिकथन कि प्रत्यर्थी इन दो पदों को धारण कर रहा था भ्रामक साबित हो गए हैं और तथ्यों का सत्यापन किए बिना ही किए गए हैं । प्रत्यर्थी न तो उसके निर्वाचन के समय और न ही 14वीं लोक सभा के लिए उसके निर्वाचन के पश्चात् इन पदों को धारण कर रहा था। इसलिए इन अभिकथनों पर आगे कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है ।

11. जहां तक पश्चिमी बंगाल अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम के सदस्य के पद का संबंध है। जिस समय यह विषय आयोग के विचाराधीन था इसी दौरान, 1959 के मूल अधिनियम का संशोधन करने के लिए संसद् (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 संसद् द्वारा अधिनियमित कर दिया गया था और 18.8.2006 को राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात् अधिसूचित कर दिया गया था। इस संशोधन अधिनियम की एक प्रति 21.8.2006 को विधि और न्याय मंत्रालय से प्राप्त हुई थी। संशोधन अधिनियम द्वारा, अन्य पदों के साथ, पश्चिमी बंगाल अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम के अध्यक्ष के पद को मूल अधिनियम की धारा 3 (ट) के अधीन ऐसे पद के रूप में घोषित किया गया है, जिसका धारक संसद् सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित नहीं होगा । मूल अधिनियम में यह संशोधन 4 अप्रैल, 1959 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रवर्तन में लाया गया है ।

12. 2006 के ऊपर उल्लिखित संशोधन अधिनयम का वर्तमान निर्देश मामले से सीधा संबंध है । जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, 1959 के मूल अधिनियम की धारा 3 के खंड (ट) के उपबंधों को 4.4.1959 से प्रवर्तन में लाया गया है । यह सुस्थापित स्थिति है कि अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन संसद् भूतलक्षी प्रभाव से किसी भी पद को ऐसे पद के रूप मे घोषित करने के लिए सशक्त है, जिसका धारक निरर्हित नहीं होगा । श्रीमती कान्ता कथूरिया बनाम एम. मानक चंद सुराना [1970(2)एससीआर 838] में उच्चतम न्यायालय का निर्णय इस सांविधानिक स्थिति को मान्य ठहराता है । पूर्व में भी, आयोग ने विधान मंडलों द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से पारित ऐसी ही विधियों का संज्ञान लिया है जब, संबंधित निर्देशों के संबंध में जांच चल रही थी । पूर्व के अनेक मामलों के अतिरिक्त हाल ही में ऐसे ही अनेक मामलों में जिनके अंतर्गत वर्तमान याची की याचिका में

उल्लिखित कुछ अन्य संसद सदस्यों के मामले भी हैं, आयोग ने संसद (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 का संज्ञान लेते हुए यह राय दी है कि मामले निरर्थक हो गए हैं क्योंकि निरर्हता, यदि कोई थी, भूतलक्षी प्रभाव से हट गई है । श्री मुकुल राय की याचिका पर निर्देश मामला सं. 3/06 में तारीख 8.9.2006 की राय और श्री येरननायडू की याचिका पर निर्देश मामला सं. 7-8/06 में तारीख 21.9.2006 की राय आदि को निर्दिष्ट किया जा सकता है । वर्तमान मामला तथ्यों और परिस्थितियों में ऊपर निर्दिष्ट मामलों के समान ही है और निरर्हता, यदि कोई हो, को हटाने वाली विधि के संशोधित उपबंध जहां तक इसका संबंध पश्चिमी बंगाल अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम के अध्यक्ष के पद से है, इस मामले को पूर्ण रूपेण लागू होते हैं ।

13. उपर्युक्त सांविधानिक, विधिक और ताथ्यिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, आयोग का सुविचारित मत है कि श्री मुकुल राय की याचिका, जहां तक उसका संबंध सदस्य, शासी निकाय, पश्चिमी बंगाल उर्दू अकादमी और सदस्य, भारतीय प्रेस परिषद् के पदों पर अभिकथित नियुक्तियों के कारण श्री मो. सलीम की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न से है, भ्रामक है । जहां तक पश्चिमी बंगाल अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम के अध्यक्ष का पद धारण करने के कारण अभिकथित निरर्हता का प्रश्न है वह निरर्थक हो गया है चूंकि निरर्हता, यदि कोई थी, संसद् (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 के आधार पर भूतलक्षी प्रभाव से हट गई है । इसलिए निर्देश को आयोग की इस राय के साथ वापस भेजा जाता है कि श्री मो. सलीम ने याचिका में उल्लिखित आधारों पर कोई निरर्हता उपगत नहीं की है ।

ह./-	ह./-	ह./-
(एस.वाई. कुरेशी) निर्वाचन आयुक्त	(एन. गोपालस्वामी) मुख्य निर्वाचन आयुक्त	(नवीन बी. चावला) निर्वाचन आयुक्त

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 18 जनवरी, 2006

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April, 2007

S.O. 556(E).—The following Order made by the President is published for general information:-

ORDER

Whereas a petition dated the 8th March, 2006 raising the question of alleged disqualification of (i) Shri Nilotpal Basu, (ii) Shri Somnath Chatterjee, (iii) Shri Hannan Mollah, (iv) Shri Lakshman Seth,

(v) Shri Amitava Nandy, (vi) Shri Sudhanshu Sil, (vii) Shri Tarit Baran Topdar, (viii) Shri Bansagopal Chowdhury, (ix) Shri (Dr.) Sujan Chakraborty and (x) Shri Md. Salim, Members of Parliament under clause (1) of article 103 of the Constitution has been submitted to the President by Shri Mukul Roy, General Secretary, All India Trinamool Congress, 30B, Harish Chatterjee Street, Kolkata;

And whereas the opinion of the Election Commission has been sought by the President under a reference dated the 20th March, 2006 under clause (2) of article 103 of the Constitution on the question as to whether Shri Md. Salim and nine other Members of Parliament became subject to disqualification for being a Member of Parliament under sub-clause (a) of clause (1) of article 102 of the Constitution;

And whereas the Election Commission has already tendered its opinion separately on the 6th June, 2006 and the 8th September, 2006 with regard to all the Members of Parliament except Shri Md. Salim;

And whereas the present opinion relates to the question of alleged disqualification of Shri Md. Salim, who was elected to the Lok Sabha at the General Election held in May, 2004;

And whereas the said petitioner has alleged that Shri Md. Salim was holding the offices of (i) Chairman, West Bengal Minority Finance & Development Corporation, (ii) Member, Governing Body, West Bengal Urdu Academy and (iii) Member, Press Council of India and the said offices are offices of profit and the said Member has incurred disqualification under sub-clause (a) of clause (1) of article 102 of the Constitution on account of holding these offices;

And whereas the Election Commission has noted that Shri Md. Salim, was neither the Member, of the Governing Body nor of the General Council of West Bengal Urdu Academy since 2002 and he was a Member of the Press Council during the period from the 25th January, 1995 to the 2nd April, 1996 and that he ceased to be a Member of the Council on the 2nd April, 1996 on completion of his term as Rajya Sabha Member then under sub-section (3) of section 6 of the Press Council Act, 1978;

And whereas the Election Commission has further noted as regards the office of Chairman, West Bengal Minority Finance and Development Corporation that while the matter was under consideration of the Commission, the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 2006, amending the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959, was enacted by the Parliament and notified after the Presidential

assent on the 18th August, 2006, which *inter alia* declared the said office, among other offices, under clause (k) of section 3, as an office the holder of which shall not be disqualified for being chosen as, or for being, a Member of Parliament;

And whereas the Election Commission has given its opinion (*vide* Annex) that the petition of Shri Mukul Roy is misconceived in so far as the question of alleged disqualification of Shri Md. Salim, on account of alleged appointments to the offices of the Member, Governing Body, West Bengal Urdu Academy and the Member, Press Council of India, is concerned and as regards the office of the Chairman of West Bengal Minority Finance & Development Corporation, the same became infructuous, as the disqualification, if any, stands removed with retrospective effect by virtue of the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 2006 and, therefore, Shri Md. Salim has not incurred any disqualification on the ground mentioned in the petition;

Now, therefore, I, A.P.J. Abdul Kalam, President of India, in exercise of the powers conferred on me under clause (1) of Article 103 of the Constitution do hereby decide that Shri Md. Salim has not incurred any disqualification on the grounds mentioned in the above-mentioned petition.

22nd March, 2007 President of India

[F. No. H-11026(3)/2007-Leg. II]

Dr. BRAHM AVTAR AGRAWAL, Addl. Secy.

ANNEX

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Reference Case No. 3 of 2006

[Reference from the President under Article 103 (2) of the Constitution]

In *re*: Alleged disqualification of Shri Md. Salim, Member of the Lok Sabha, under Article 102 (1) (a) of the Constitution

OPINION

This is a reference dated 20th March, 2006 from the President, under Article 103 (2) of the Constitution, seeking the opinion of the Election Commission on question whether Shri Md. Salim has become subject to disqualification for being Member of the Lok Sabha, under Article 102 (1)(a) of the Constitution.

2057 GI/07-3

2. The question of alleged disqualification of Shri Md. Salim was raised in a petition dated 8th March, 2006 submitted to the President by Sh. Mukul Roy, General Secretary, All India Trinamol Congress, 30B, Harish Chatterjee Street, Kolkata. The question of alleged disqualification of (i) Shri Nilotpal Basu, MP (Rajya Sabha), (ii) Shri Somnath Chatterjee, MP (Lok Sabha), (iii) Shri Hannam Mollah, MP(Lok Sabha) (iv) Shri Lakshman Seth, MP (Lok Sabha), (v) Shri Amitava Nandy, MP(Lok Sabha) (vi) Shri Sudhanshu Sil, MP (Lok Sabha) (vii) Shri Tarit Baran Topdar, MP (Lok Sabha) (viii) Shri Bansagopal Chowdhury, MP(Lok Sabha) and (ix) Shri (Dr.) Sujan Chakraborty was also raised in the said petition. The Commission has already tendered its opinions separately on 6.6.2006 and 8.9.2006, with regard to all the aforesaid nine MPs.

3. The present opinion relates to the question of alleged disqualification of Shri Md. Salim, who was elected to the Lok Sabha at the general election to the current House of the People, held in May 2004. The allegations in the petition with regard to the offices held by Shri Md. Salim were that he was holding the offices of (i) Chairman, West Bengal Minority Finance & Development Corporation, (ii) Member, Governing Body, West Bengal Urdu Academy and (iii) Member, Press Council of India. The petitioner contended that the above mentioned offices held by Shri Md. Salim are offices of profit and the said member has incurred disqualification under Article 102(1)(a) on account of his holding these offices.

4. The petition of Shri Mukul Roy was, however, not accompanied by any document to support his contention that the offices to which the said member had been appointed were offices of profit under the Government. The petition of Shri Mukul Roy did not even contain the basic information about the dates of appointments of the Member to the offices referred to in the petition. The date of appointment of a Member to an office is vital to determine whether the case falls within the jurisdiction of the President to decide in terms of Article 103(1). It is well settled by catena of decisions of the Supreme Court { See Election Commission Vs.

Saka Venkata Rao (AIR 1953 SC 201); Brundaban Naik Vs. Election Commission (AIR 1965 SC 1892); Election Commission Vs. N.G.Ranga (AIR 1978 SC 1609)} that under Article 103 of the Constitution, the President and the Election Commission can look into the questions of only those offices to which the Member of Parliament is appointed after his election as such Member. The petitioner was, therefore, asked to furnish specific information in that regard vide the Commission's Notice dated 24th March, 2006 . The petitioner submitted a letter dated 15th April, 2006 enclosing therewith certain documents which again did not contain the specific information as called for. Therefore, the petitioner was again called upon, vide Notice on 3rd May 2006, to furnish the requisite specific information, by 24th May, 2006. The petitioner submitted a letter in reply to the said notice, on 24th May, 2006, contending, *inter-alia*, that the information available with him was already provided by him to the Commission and that the Commission owed a duty to call upon the respondent to furnish the date(s) of appointments.

5. As the petitioner was not able to furnish specific information about the dates of appointments of the respondent to the said offices and other details about the profit, if any, accruing to him, the Commission decided to obtain the relevant information from the State Government of West Bengal, to enable the Commission to give its opinion to the President on the question of alleged disqualification referred to the Commission under Article 103(2). Accordingly, vide letter dated 16.6.2006, the Commission requested the State Government to furnish the relevant information by 3.7.2006. On a request from the State Government, the time was extended to 15.7.2006, on which date a reply was received from the State Government. The State Govt. enclosed a copy of a note given by the Advocate General of the State, with an endorsement that the Government agreed with the view of the Advocate General. The Advocate General's note basically stated that the Commission should obtain the information from the respondent. The Commission wrote back to the State Government, on 21.7.2006, bringing to its notice the provisions of Section 146 of the Representation of the People Act, 1951, and pointing out that the State Government was obliged to furnish the information sought by the Commission.

6. The State Government submitted a reply on 1.8.2006, enclosing, *inter-alia* copies of Notifications of appointment of the respondent to the office of Chairman, West Bengal Minority Finance & Development Corporation. However, the Office of Member of the Governing Body of Urdu Academy did not find any specific mention either in the State Govt.'s reply or in the Note of the Advocate General, although in a copy of an unsigned 'Explanatory Note' included in the other documents with the letter, there was a mention that Shri Salim was never inducted as a Member of the West Bengal Urdu Academy. There was also no mention at all about the office of the member of the Press Council of India. Consequently, the Commission decided to obtain the relevant information from the Ministry of Information & Broadcasting in respect of the office of Member of the Press Council of India and from the State Government of West Bengal in respect of the office of Member of the Governing Body of Urdu Academy, to enable the Commission to give its opinion to the President on the question of alleged disqualification referred to the Commission under Article 103(2). Accordingly, vide letters dated 3.11.2006, the Commission requested the Central Government in the Ministry of Information and Broadcasting and the State Government of West Bengal to furnish the desired information. The Ministry of Information and Broadcasting, in its reply, submitted on 20.12.2006, stated that Shri Md. Salim was a member of the Press Council during the period from 25.1.1995 to 2.4.1996 and that he ceased to be member of that Council on 2.4.1996 on completion of his term as Rajya Sabha Member then under Section 6(3) of the Press Council Act, 1978. The Government of West Bengal in its reply dated 4.12.2006, stated that Shri Md. Salim was neither the Member of the Governing Body nor of the General Council of West Bengal Urdu Academy since 2002.

7. As stated above, it is well settled that under Article 103(1) of the Constitution of India, the jurisdiction of the President to decide question of disqualification of a sitting member of Parliament arises only in the case of disqualification which he incurred after his election as member of the House. The jurisdiction of the Election Commission to inquire into such question of alleged disqualification, on being referred to it by the President under Article 103(2) of the Constitution, also arises only in case of post election disqualification.

8. As already noted in paragraph 3 above, Shri Md. Salim's current membership in the Lok Sabha is on the basis of his election to that House at the general election to that House held in May, 2004. Thus, the question raised in the present petition so far as it relates to the office of Member of Press Council of India, pertains to the period much prior to his election to the 14th Lok Sabha in May, 2004.

9. As regards the office of the Member, Governing Body, West Bengal Urdu Academy, the State Govt., in its reply, stated that Shri Md. Salim was neither the Member of the Governing Body nor of the General Council of West Bengal Urdu Academy since 2002.

10. In view of the above facts the allegations in the petition that the respondent was holding these two offices are proved to be misconceived and made without verification of facts. The respondent was neither holding these offices at the time of his election nor after his election to 14th Lok Sabha. Therefore, there is no need for any further consideration of these allegations.

11. As regards the office of Chairman of West Bengal Minority Finance and Development Corporation. while the matter was under consideration of the Commission the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 2006, amending the Principal Act of 1959, was enacted by the Parliament and notified after the Presidential assent on 18.8.2006. A copy of this Amendment Act was received from the Ministry of Law and Justice on 21.8.2006. By the Amendment Act, the office of the Chairman of West Bengal Minority Finance and Development Corporation. among other offices, has been declared under Section 3 (k) of the Principal Act, as an office the holder of which shall not be disqualified for being chosen as, and for being Member of Parliament. This amendment to the Principal Act has been brought into force with retrospective effect from 4th April, 1959.

12. The above mentioned Amendment Act of 2006 has a direct bearing on the present reference case. As mentioned above, the provisions of clause (k) of Section 3

2057 GI/07 - 4

of the Principal Act of 1959 have been brought into force with effect from 4.4.1959. It is a settled position that under Article 102(1)(a), the Parliament is empowered to declare, with retrospective effect, an office to be an office the holder whereof shall not be disqualified. The decision of the Supreme Court in Smt. Kanta Kathuria vs. M. Manak Chand Surana [1970 (2) SCR 838] upholds this constitutional position. In the past also, the Commission has taken cognizance of similar laws passed by the legislatures with retrospective effect, even as enquiry into the references concerned was in progress. Apart from many past cases, in several similar recent cases, including the cases of some of the other MPs mentioned in the petition of the present petitioner, the Commission, taking cognizance of the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act,2006, has given the opinion that the cases have been rendered infructuous as the disqualification, if any, stood removed with retrospective effect. Opinion dated 8.9.2006 in Reference Case No.3/06 on the petition of Sh. Mukul Roy and opinion dated 21.9.2006 in Reference Case Nos. 7-8/06 on the petition of Sh. Yerrannaidu, etc., may be referred to. The present case is similar in facts and circumstances to the above referred cases and the amended provisions of law removing the disqualification, if any, squarely apply in this case, in so far as it relates to the office of the Chairman, West Bengal Minority Finance and Development Corporation.

13. Having regard to the above constitutional, legal & factual position, the Commission is of considered view that the petition of Shri Mukul Roy is misconceived in so far as the question of the alleged disqualification of Shri Md. Salim, on account of alleged appointments to the offices of the Member, Governing Body, West Bengal Urdu Academy and the Member, Press Council of India, is concerned. As regards the question of alleged disqualification on account of holding the office of the Chairman of West Bengal Minority Finance and Development Corporation, the same has been infructuous, as the disqualification, if any, stands

removed with retrospective effect by virtue of the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 2006. Therefore, the reference is returned with the Commission's Opinion that Shri Mohd. Salim has not incurred any disqualification on the grounds mentioned in the petition.

(S.Y.Quraishi)	(N.Gopalaswami)	(Navin B.Chawla)
Election Commissioner	**Chief Election Commissioner**	**Election Commissioner**

Place : New Delhi
Dated: 18th January, 2007.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.